अपील सूचना अधिकार संख्या 115/2020 (RCMS 2020/00201) संदीप कुमार पुत्र रमेश चन्द्रजी निवासी मकान नम्बर 36(ए), रेल्वे मण्डी, होशियारपुर–146001 (पंजाब) <u>बनाम</u> 1 प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर 2. प्रभारी अधिकारी जन अभाव अभियोग, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

<u>26.07.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी संदीप कुमार उपस्थित नहीं है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी श्री संदीप कुमार** ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2020 प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उन्होनें अपने पत्रांक आर.टी.आई. /13/2020/81 दिनांक 23.01.2020 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, जिला जन अभाव अभियोग शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी,राजस्थान सम्पर्क, श्रीगंगानगर को भिजवाई दी थी। उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री संदीप कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2020 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. सचिव, जिला जनभाव निराकरण सतर्कता समिति एवं अतिरिक्त कलक्टर (शहर), श्रीगंगानगर (राज.) का पत्रांक एफ 1(14)सतर्कता(1401)( )(2015)/29323–29324 दिनांक 24–09–2015 से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर (राज.) का पत्रांक एफ 12(2)(28/70)राजस्व/ 12/ 7699–7700 दिनांक 18–10–2012 से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
3. आपके Public Authority द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी (State Public Information Officer) नियुक्त करने को आदेश/पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सतर्कता / (बैठक 31 / 15) 2020 / 5962 दिनांक 05.10.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	कार्यालय द्वारा जारी फीस हेतु पत्र	सूचना प्रेषित की गई
1.	सचिव, जिला जनभाव निराकरण सतर्कता समिति एवं अतिरिक्त कलक्टर (शहर), श्रीगंगानगर (राज.) का पत्रांक एफ1(14)सतर्कता(1401)()(2015) / 29323—29324 दिनांक 24.09.2015 से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	कार्यालय पत्रांक 4778 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा पत्रावली में उपलब्ध 16 पेज के लिए दो रूपये प्रति पेज की दर से बत्तीस रूपये का पी.ओ. जमा करवा कर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया। (संलग्नक—2)	(कोविड—19 के दौरान लॉकडाउन के पश्चात्) प्रार्थी द्वारा 40 / — रू0 का पी. ओ. डाक द्वारा भिजवाया गया जो प्राप्त होने पर इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक 5791 दिनांक 23.09.20 के द्वारा सूचना जो बिन्दु सं. एक की इस शाखा से सम्बन्धित है भिजवा दी गई है (संलग्नक—3)
2.	प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर (राज.) का पत्रांक एफ12(2)(28 / 70) राजस्व / 12 / 7699—7700 दिनांक 18—10—2012 से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	शाखा से सम्बन्धित नही है।	
3.	आपके Public Authority द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अधीन "राज्य लोक सूचना अधिकारी (State Public Information Officer) नियुक्त करने को आदेश / पत्रादि की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	शाखा से [illegible] नही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, सकर्तता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दु संख्या 01 का जवाब दिया जा चुका है। बिन्दु संख्या 2, प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है और उनके द्वारा अपीलार्थी को आज दिनांक तक कोई जवाब नहीं दिया गया है इसीप्रकार बिन्दु संख्या 03 का भी उत्तर नहीं दिया गया है। जबकि इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:47 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 02 पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए बिन्दु संख्या 02 व 03 के सम्बन्ध में प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं में से शेष रही बिन्दु संख्या 2 व 3 से सम्बन्धित सूचनाओं के बारे में नियमानुसार 10 में दिवस में निर्णय लेकर प्रार्थी को सूचित करें। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ/राजस्व शखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:47 IST
Reason: SelfAttested